<u>न्यायालयः- सिविल जज (जू.डि.), मऊ, चित्रकूट</u>।

मूलवाद संख्या- 64 / 2010

केदारनाथ बनाम अपर्णा

<u>21.08.2019-</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पी.डब्लू.-1 की जिरह हेतु नियत है। वादी पक्ष द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वादी साक्षी अत्यन्त वृध्द होने के कारण आज उपस्थित नहीं आ सका है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा आपत्ति की गई है कि साक्षी पी.डब्लू.-1 का मुख्य बयान को प्रस्तुत करने के बाद आज तक साक्षी को जिरह हेतु उपस्थित नहीं किया गया तथा वादी द्वारा जान-बूझकर वाद के निस्तारण में विलम्ब किया जा रहा है।

आदेश पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली दिनांक-29.08.2017 से वादी साक्ष्य हेतु नियत है तथा वादी पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.-1 का मुख्य बयान दिनांक-18.12.2018 को दाखिल किया गया है इसके पश्चात् कई तिथियां बीत जाने के बावजूद वादी पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.-1 को जिरह हेतु उपस्थित नहीं किया गया है। वादी का स्थगन प्रार्थना पत्र मु. 200/- रूपये हर्जा व इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि यदि अगली नियत तिथि को पी.डब्लू.-1 को जिरह हेतु उपस्थित नहीं किया गया तो उसके साक्ष्य का अवसर स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। पत्रावली वास्ते जिरह पी.डब्लू.-1 दिनांक-12.09.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.)
मऊ-चित्रकूट।